

Bye-mail  
✓ सत्यवशक

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड) ( ) (का भा) / डीएलबी / 23 / 832

दिनांक: 26-7-2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प2(च)( ) एसीबी/एफआइआर नंबर 424/22/जॉच/डी.एल.बी/22/145-157 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा श्री विमल चन्द महावर को सभापति नगर परिषद सवाईमाधोपुर एवं सदस्य पद से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद नागौर में सभापति का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1)(i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति राजबाई बैरवा पार्षद वार्ड संख्या 53 को नगर परिषद सवाईमाधोपुर में सभापति/अध्यक्ष के पद का कार्यभार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 5468-5482 दिनांक 09.05.2023 की निरन्तरता में 60 दिवस से अनधिक की कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा)विधि/डीएलबी/23/833-845  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 26-7-2023

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त भरतपुर/जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी नागौर।
9. श्रीमति राजबाई बैरवा पार्षद वार्ड संख्या 53 को नगर परिषद सवाईमाधोपुर।
10. आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर।
11. प्रोग्रामर (आई टी सैल) निदेशालय का अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी